क्रम-संख्या—192

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 जून, 2002

आषाढ़ 6, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्या जी–2–605 / दस–534(19)57

लखनऊ, दिनांक, 27 जून, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प०आ०–414

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग-दो से चार में दिये गये फण्डामेन्टल रूल्स में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (संशोधन) नियमावली, 2002 कही जायेगी।

(2) यह 28 नवम्बर, 2001 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

फण्डामेन्टल रूल 56 का संशोधन

2—फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स में, नियम 56 में,

(क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ-1 **वर्तमान खण्ड**	स्तम्भ-2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
"56 (क) इस नियम के अन्य खण्डों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त करें, अंतिम दिन अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा।	"56 (क) इस नियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करें, अन्तिम दिन अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा :

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
उसे अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक के पश्चात सरकार की पूर्व स्वीकृति से लोक आधार पर, जिसे अभिलिखित किया जायेगा, सेवा में रखा जा सकता है, किन्तु अति विशेष परिस्थितियों के सिवाय उसे साठ वर्ष की आयु के पश्चात सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए :	परन्तु कोई सरकारी सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास की अन्तिम दिवस के अपरान्ह में सेवा से निवृत्त होगा :
परन्तु 5 नवम्बर, 1985 के पूर्व भर्ती किया गया और समूह 'घ' पद को धारण करने वाला कोई सरकारी सेवक उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करें, अंतिम दिन अपरान्ह में सेवा से निवृत्त होगा।	परन्तु यह और कि कोई सरकारी सेवक जिसने नवम्बर, 2001 के प्रथम दिवस पर या उसके पूर्व अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और सेवा विस्तार पर है तो वह उसकी सेवा अवधि के विस्तार की समाप्ति पर सेवा से निवृत्त होगा।
स्पष्टीकरण–उपर्युक्त परन्तुक उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहाँ उक्त परन्तुक में निर्दिष्ट पद/पदों की प्रास्थिति में 27 फरवरी, 1982 के पश्चात परिवर्तन किया गया हो और उच्चतर समूह के पद/पदों में वर्गीकृत किया गया हो।''	(क-1) किसी सरकारी सेवक की सेवा में साठ वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु के आगे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा :
	परन्तु किसी ऐसे सरकारी सेवक जो बजट कार्य से सम्बद्ध है या किसी ऐसी समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो जिसका अल्प समय में परिसमापन किया जाना है, सेवा का विस्तार लोकहित में सरकार द्वारा तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है :
	परन्तु यह और कि सरकार को किसी स्थायी सरकारी सेवक की दशा में तीन मास से अन्यून या अस्थायी सरकारी सेवक की दशा में एक मास की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में वेतन और भत्ते देकर ऐसे दिये गये सेवा विस्तार की अवधि के समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त करने का अधिकार होगा।''
(ख) टिप्पणी 3 निकाल दी जाएगी।	

आज्ञा से,
नवीन चन्द्र बाजपेई
प्रमुख सचिव।